### न्यायालयः-साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

<u>दांडिक प्रकरण कं.-209/11</u> <u>संस्थापित दिनांक-06.06.2011</u> Filling no-RCT/00200209/2011

### -: <u>निर्णय</u> :--

### <u>(आज दिनांक 27.10.2017 को घोषित)</u>

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 294, 324/149, 323/149, 325/149, 148, 506 भाग दो भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 02.05.2011 को रात्रि लगभग 12 बजे फतेहाबाद तिराहा चंदेरी में सार्वजिनक स्थान पर रामकृष्ण को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में रामकृष्ण को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत कपिल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत रामकृष्ण की मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सशस्त्र ६ ।।

तक आयुद्य से सुसजित होकर विधि विरुद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया एवं फरियादी/आहतगण को संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

- 02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि आरोपी किशन एवं श्यामलाल की विचारण के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण उनके संबंध में अभियोजन कार्यवाही समाप्त की जा चुकी है, और यह निर्णय शेष आरोपी थानसिह, प्रमोद, पल्लू, राजू, वीरन के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि दिनांक 03.05.2011 को अस्पताल चंदेरी से एक तहरीर जांच हेतु प्राप्त हुई थी जिसका सान्हा क्रमांक 68 दिनांक 03.05.2011 पर 3 बजे आमद दर्ज कर जांच में ली गई। जांच के दौरान मजरूब रामकिशन नामदेव एवं कपिल नामदेव के मेडिकल परीक्षण कराये गये एवं दोनो के कथन लिये गये। दिनांक 02.05.2011 को रात करीब 12 बजे उसकी दुकान बंद करके दुकान के बाहर तखत पर सो रहे थे कि उसी समय थानसिह, शराब पीकर आया और गाली गलौच करने लगा, गाली की आवाज सूनकर वह तथा उसके लडके की नींद खूल गई, उसने थान सिंह को समझाया कि गाली क्यों दे रहा है तभी थानसिंह ने मोबाईल किया और 15–20 मिनिट में पल्लू, राजू, प्रमोद, किशन, वीरन, श्यामलाल लाठी एवं लुहांगी लेकर आ गये और एक राय होकर मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे, उसने गाली देने से मना किया तो सभी लोग उसे मारने पीटने लगे जिससे शरीर में जगह–जगह चोटे आ गई थी, उसका लडका बचाने आया तो उसकी भी मारपीट आरोपीगण ने कर दी। जब घटना रिपोर्ट करने थाने आने लगे तो सभी आरोपीगण जान से मारने की धमकी दे रहे थे। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया। आहतगण का मेडिकल कराया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया, सम्पत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- 04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना तथा रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

### 05— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 02.05.2011 को रात्रि लगभग 12 बजे फतेहाबाद तिराहा चंदेरी में सार्वजनिक स्थान पर रामकृष्ण को मां, बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में रामकृष्ण को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की एवं सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण मे आहत कपिल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

- 3. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में धारदार हथियार से मारपीट कर साधारण उपहित कारित की ?
- 4. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत रामकृष्ण की मारपीट कर उसकी अस्थि भंग कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 5. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सशस्त्र घातक आयुद्य से सुसजित होकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर उसके अग्रसरण में बल व हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी/आहतगण को संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

#### : : सकारण निष्कर्ष : :

### विचारणीय प्रश्न क0 1 व 6:-

- 06— विचारणीय प्रश्न क. 1 व 6 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी रामिकशन नामदेव अ०सा01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में बताया कि वह उसके मकान पर स्थित दुकान पर सो रहा था, तो थानसिह आदि सभी आरोपीगण ने मां बहन की गालियां दी थी। कपिल नामदेव अ०सा02 ने भी उसके मुख्य परीक्षण के पैरा 1 में बताया कि पहले थान सिह आया और मां बहन की गालियां दी। किन्तु उक्त साक्षीगण ने उनके न्यायालयीन कथनो में यह व्यक्त नहीं किया कि आरोपीगण द्वारा उन्हे मां बहन की कौन सी गालियां उच्चारित की थी और न ही इस बारे में कोई कथन दिये कि उक्त गालियों से उन्हें क्षोभ कारित हुआ हो और न ही साक्षी ने यह व्यक्त किया कि आरोपीगण द्वारा उसे लोक स्थान पर गालियां दी गई थी। इसके अलावा आरोपीगण द्वारा संत्रास कारित करने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये।
- 07— उल्लेखनिय है कि भा०द०स० की धारा 503 में परिभाषित ''आपराधिक अभित्रास'' का अपराध गठित करने के लिये धमकी वास्तविक होना चाहिए न की शब्द, जहां कि शब्द बोलने वाले व्यक्ति का आशय वह नहीं होता जोकि वह कह रहा है और वह व्यक्ति जिसें धमकी दी गई है वास्तव में भयभीत न हो तो वह अपराध ६ । टित नहीं होता है। आपराधिक अभित्रास का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि

भयभीत करने का अथवा किस व्यक्ति को भयभीत किया गया है उस व्यक्ति को वह कार्य करने के लिये विवश करने का आशय होना चाहिए जिसको करने के लिये वैधानिक रूप से वह बाध्य नहीं है या ऐसा कार्य/लोप करने के लिये विवश करना चाहिए जिसे करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार है, साथ ही उपयोग किये गये शब्दों से इस बात का स्पष्ट संकेत होना चाहिए कि अभियुक्त क्या करने वाला है और फरियादी को युक्तियुक्त रूप से वह लगना चाहिए कि अभियुक्त उसके शब्दों को कार्य रूप में परिणित करने वाला है। शरद दबे एवं अन्य विरुद्ध महेश गुप्ता व अन्य 2005 (4) एन.पी.एल.जे. 330 में माननीय न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया कि केवल जान से मारने की धमिकयां भा0द0सा0 की धारा 506 भाग—2 के अधीन अपराध का गठन नहीं करती।

08— फलतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना से यह युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी रामकृष्ण को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे व सुनने वालो को क्षोभ कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

#### विचारणीय प्रश्न क0 2, 3, 4 व 5:-

- 09— विचारणीय प्रश्न क. 2, 3, 4 व 5 एक—दूसरे से संबंधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृति को रोकने के लिये उनका एक साथ विश्लेषण किया जा रहा है। फरियादी रामिकशन नामदेव अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से ढाई साल पुरानी होकर रात 11—11:30 बजे की है। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह उसकी दुकान पर था और उसके साथ कपिल भी उसके मकान पर स्थित दुकान पर सो रहा था तो थानिसह आदि सभी आरोपीगण ने उसे मां बहन की गालियां दी और एकदम से उसे मारने को लग गये, पहले थानिसह आया फिर बाकी सभी लोग लट्ठ फर्सा और चाकू लिये थे। उक्त साक्षी ने बताया कि पहले उसे थान सिंह ने एक फर्सा मारा जो उसके सिर में लगा। राजू ने एक चाकू मारा जो उसकी हथेली में पकड़ा तो उसे हथेली में चाकू लगा और सभी लोगो ने उसे लाठियों से मारा और वह गिरकर बेहोश हो गया। उक्त साक्षी ने बताया कि उसका छोटा बच्चा किपल उसके साथ में था, उसको भी आरोपीगण ने मारा था और उसे सिर व शरीर में मुंदी चोटे आई थी।
- 10— रामिकशन नामदेव अ०सा०१ ने उसके प्रतिपरीक्षण में बताया कि वह थानिसह को दुकान से सामान नहीं देता था इसी बात पर वह उससे झगडा करता था और थानिसह घटना के समय सभी आरोपी के साथ आया था। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी थानिसह के अलावा प्रमोद, पल्लू, राजू, श्यामलाल, वीरन, किशन मारपीट करने घटना के समय आए थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में बताया कि घटना के

समय आरोपी थानसिह फर्सा, प्रमोद छुरी, बल्लू लाठी व शेष आरोपी लाठी लिये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि वह घटना के समय नहीं देख पाया था। कि आरोपीगण के पास लाठी या लोहांगी क्या चीजे थी। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके सिर में चोट लगने से काफी खून निकला था और कपडे खून से तरबतर हो गये थे। यद्यपि उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 14 में बताया कि घटना के समय आरोपी राजू चाकू नहीं लिये था और आरोपी राजू द्वारा चाकू मारने वाली बात जो मुख्य परीक्षण में उसने बताई है वह गलत है।

11— कपिल नामदेव अ०सा०२ ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपीगण एवं फरियादी रामकिशन को जानता है। उक्त साक्षी ने बताया कि घटना के समय वह घर के अन्दर सो रहा था और उसके पिता घर के बाहर सो रहे थे, पहले थानसिह आया और मां बहन की गालियां दी। थानसिह शराब पीए था। थानसिंह ने फोन लगाकर पल्लू, प्रमोद, राजू, वीरन, रामकिशन कुशवाह को बुलाया। उक्त साक्षी ने बताया कि आरोपी लट्ठ, चाकू लिये हुए थे, उसके पिता को सिर, दोनो हाथो व दोनो पैरो में चोटे आई थी, किस व्यक्ति ने किस हथियार से उसके पिता की मारपीट की थी उसे याद नहीं है। कपिल अ०सा०२ ने बताया कि झगडे में उसे सिर व पैर में चोट आई थी, उसे पल्लू ने मारा था। उक्त साक्षी ने बताया कि जब वह अपने भाई को बुलाकर लाया तो आरोपीगण जा चुके थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में बताया कि उसके पिता को दोनो हाथो में किसने मारा उसे नहीं पता, किसी धारदार वस्तू से उसके पिता को हाथ मे मारा था जिससे उनके दोनो हाथो की हथेली पर अंग्ठे के पास कट गये थे। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि उसने थानसिंह को उसके पिता को मारते देखा था, लेकिन किस आरोपी ने किस हथियार से मारा उसने नहीं देखा। दो आरोपी चाकू लिये थे बाकी लोग लाठी लिये थे। घटना के समय एक ट्यूब लाईट जल रही थी ज्यादा अंधेरा नहीं था। उक्त साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाब से इंकार किया कि उसके पिता रामिकशन शराब के नशे में पत्थरो पर गिर गये थे जिससे उन्हें चोट आई।

12— प्रमोद अ०सा०3 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथनो से करीब 3 साल पहले की है। उक्त साक्षी ने बताया कि उसके पिता और छोटा भाई शादी में से आकर सो रहे थे तभी आरोपीगण ने उनकी मारपीट की। उक्त बात उसे हाठकापुरा में आकर उसके छोटे भाई और फिरोज ने बताई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह साक्षी अनुश्रुत साक्षी है। फिरोज खांन अ०सा०4 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया है जिससे उक्त साक्षी की साक्ष्य पर अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। महताब यादव अ०सा०8 एवं कैलाश अ०सा०9 ने उनके न्यायालयीन कथनो में व्यक्त किया कि वह आरोपीगण को जानते है और साक्षी मेहताब यादव अ०सा० 8 ने गिरफ्तारी

पंचनामा प्र.पी. 7 लगायत 10 एवं जप्ती पंचनामा प्र.पी. 14 के बी से बी भागो पर एवं साक्षी कैलाश अ0सा09 ने गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7, 9, 10 एवं जप्ती पंचनामा प्र. पी. 14 के सी से सी भागो पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। किन्तु उक्त साक्षीगण ने आरोपीगण को उनके समक्ष गिरफ्तार किया जाना एवं आरोपीगण से जप्ती पंचनामा प्र.पी. 14 के अनुसार आयुद्य जप्त किये जाने से इंकार किया। उक्त साक्षीगण ने अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उन्होंने जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही उनके समक्ष किये जाने से इंकार किया।

- 13— डॉ0 आर.पी.शर्मा अ०सा०५ द्वारा उसके न्यायालयीन कथनो में बताया कि वह दिनांक 03.05.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चंदेरी में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आहत रामकिशन पुत्र रामदास, निवासी चंदेरी ध गायल अवस्था में अस्पताल मे भर्ती हुआ था जिसकी सूचना थाना चंदेरी में भेजी गई थी जो प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उक्त दिनांक को ही आहत रामिकशन की पुलिस से प्राप्त एमएलसी आवेदन पर एमएलसी की गई थी जिसमें आहत रामकिशन को बांये भुजा पर फेक्चर की संभावना पर एक्सरे की सलाह दी गई थी, बांयी तरफ सिर में फटा घाव था, कटा घाव दांये पंजे पर अंगूठे के पास, दोनो पैर की पिडली पर फटा घाव, पीछे कमर पर बहुत सारे नीलगू निशान जो लाल रंग के थे। उक्त साक्षी ने बताया कि मरीज को इलाज व एक्सरे में लिये जिला चिकित्सालय अशोकनगर भेजा गया था। चोट क0 3, 4, 5 साधारण प्रकृति की थी और चोट क0 3 धारदार वस्तु से और बाकी चोटे कठोर व बोथरी वस्तु से 12 घंटे के भीतर आना संभव थी। उक्त साक्षी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी. 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आहत कपिल के मेडिकल परीक्षण में दांहिनी भूजा पर एक फटा घाव था, चोट साधारण प्रकृति की थी। उक्त एमएलसी रिपोर्ट प्र.पी. 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि चोट क0 3 आहत रामकिशन द्वारा स्वयं कारित की जा सकती है और शेष चोटे एक्सीडेन्ट में आना संभव है।
- 14— डॉ० एस.एस.छारी अ०सा०७ द्वारा उसके कथनो में बताया कि उसने आहत रामिकशन की बांयी भूजा के मध्य भाग में बांयी ह्यूमरस हड्डी में अस्थिमंग पाया था और सिर में कोई अस्थिमंग नहीं थी। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट प्र.पी. 16 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि सामान्य प्रकार से गिरने से उक्त प्रकार का अस्थिमंग नहीं आ सकता क्योंकि अस्थिमंग बडा था।
- 15— अभियोजन साक्ष्य में फरियादी रामिकशन अ०सा०। एवं आहत कपिल अ०सा२ इस तथ्य पर एकमत रहे है कि घटना के समय अभियुक्तगण फर्सा, चाकू और लट्ठ लिये थे। उक्त साक्षीगण ने सभी आरोपीगणों के नाम उनके कथनों में व्यक्त किये हैं। रामिकशन अ०सा०। ने बताया कि आरोपी थानिसह ने उसे सिर में फर्सा मारा और

प्रमोद ने उसे हाथ में छुरी मारी थी जिसे उसने पकड लिया था और शेष आरोपीगण लट्ट लिये थे। उक्त बातों का सारतः समर्थन आहत किपल नामदेव अ०सा०२ ने किया है। फिरयादी रामिकशन अ०सा०१ एवं किपल अ०सा०२ के कथन प्रतिपरीक्षण में भी सारतः अखण्डनीय रहे है और उनके कथनों में किसी भी प्रकार के तात्विक विरोधाभास अथवा लोप का अभाव है जिससे उक्त साक्षीगण के कथन विश्वसनीय प्रतित होते है। जहां तक पूछे गये इन तथ्यों का प्रश्न है कि किस आहत को किस आरोपी के द्वारा किस हथियार से मारा था या किस आहत को किस स्थान पर चोट लगी थी और पहले कौन आया औा वाद में कौन आया, उक्त प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने की अपेक्षा साक्षी से नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में अनेक अभियुक्तगण है और दो आहत है। घटना स्थल पर सभी अभियुक्तगण का साथ होना व आहतगण के साथ मारपीट होने में आहतगण के लिये यह बता पाना संभव नहीं होता है कि किस अभियुक्त ने किस आहत को शरीर के किन हिस्सों में मारा था।

16— ए.बी.सी. रेड्डी वैकटरमन बनाम प्रासीक्यूटर हाईकोर्ट ऑफ आंध्रप्रदेश 2008 सी.आर.एल.आर 238 में माननीय सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया कि जब कई व्यक्तियों द्वारा साथ—साथ हमला किया जाता है तब हथियार की प्रकृति के संबंध में किसी व्यक्ति का ब्यौरा बताना असंभव हैं। यह बताया जाना असंभव माना है कि अभियुक्त द्वारा कौन से व्यक्ति ने हमला किया और शरीर के किस भाग पर क्षति कारित की गई। इस प्रकार यदि साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त तथ्यों से अनिभन्न होना व्यक्त करता है या उनका जबाब नहीं दे पाता है, मात्र इस आधार पर इनकी अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जावेगा। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास है, इसलिय इनकी साक्ष्य अविश्वसनीय है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रोकड सिह वि0 स्टेट ऑफ एम.पी., एम.पी.एल.जे 1996 पेज 57 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत प्रकट किया गया कि साक्षीयों द्वारा घटना का वर्णन भाषा और तरीके में फेर फार स्वाभाविक है उससे वृतांत की यथार्थता प्रमाणित नहीं होती है। इसके विपरीत वृतांत में एक रूपता से साक्षीगण को सिखाने पढाने के संकेत मिलते है।

17— अभियोजन साक्ष्य में फरियादी रामिकशन ने उसके कथनो में घटना को स्पष्ट किया है और प्रतिपरीक्षण में प्रतिकुल सुझाबो से स्पष्टतः इंकार करता है, उसके कथनो का समर्थन आहत कपिल अ0सा02 द्वारा भी किया गया है। फरियादी रामिकशन एवं आहत कपिल को आई हुई चोटो का समर्थन डाँ० आर.पी.शर्मा अ0सा05 एवं डाँ० एस.एस.छारी अ0सा07 द्वारा भी उनके चिकित्सीय प्रतिवेदन में किया है तथा घटना के तुरन्त पश्चात डाँ आर.पी.शर्मा द्वारा थाना चंदेरी में प्र.पी. 6 की तहरीर भेजी जाना उसके पश्चात साक्षी नरेन्द्र सिह रघुवंशी अ0सा06 द्वारा उक्त तहरीर की जांच पश्चात उक्त जांच रिपोर्ट पर से अपराध की कायमी क0 205/11 की जाकर उसे केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होना एवं साक्षीगण के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 7 लगायत 13 तैयार

करने एवं आरोपी थानसिंह, प्रमोद, पल्लू, राजू से प्र.पी. 14 के अनुसार अर्थात लोहांगी, एक लोहे की धारदार छुरी एवं 2 लाठी जप्त कर जप्ती पंचनामा साक्षीगण के समक्ष तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

- 18— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर यह प्रमाणित है कि घटना के समय अभियुक्तगण एक साथ मौके पर उपस्थित थे और उनके द्वारा विधि विरूद्ध जमाव का गठन किया जिसके सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में फरियादी रामिकशन एवं आहत किया जिसके नारपीट कर उपहित कारित कर बलबा किया और इसी सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में रामिकशन को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित एवं आहत किया की स्वेच्छया साधारण उपहित एवं रामकृष्ण की मारपीट कर अस्थिमंग कारित की। अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294 एवं 506 भाग दो का आरोप प्रमाणित न होने से उन्हे उक्त आरोपो से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 324 / 149, 323 / 149, 325 / 149 एवं 148 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित होने से दोषसिद्ध पाया जाता है।
- 19. दोषसिद्ध अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु स्थिगित किया जाता हैं।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

#### <u>पुनश्चः</u>—

20— उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से प्रथम अपराध को दृष्टिगत रखते हुये कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अधिक से अधिक दण्ड दिये जाने का निवेदन किया गया हैं। प्रकरण के तथ्य, आहत को आयी चोटें एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है—

*Criminal Case No-209/11*Filling no-RCT/00200209/2011

अभियुक्त	भा0दा0वि0 की धारा	सश्रम कारावास	अर्थदण्ड की राशि	अर्थदण्ड के व्यतिकम में सश्रम कारावास
	324 / 149	6 माह	300 / -	15 दिवस
थानसिह	323 / 149	3 माह	200/-	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500 / -	15 दिवस
	148	3 माह	200/-	7 दिवस
प्रमोद	324 / 149	6 माह	300/-	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200/-	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500/-	15 दिवस
	148	3 माह	200/-	7 दिवस
पल्लू	324 / 149	6 माह	300/-	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200/-	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500/-	15 दिवस
	148	3 माह	200/-	7 दिवस
राजू	324 / 149	6 माह	300/-	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200/-	7 दिवस
	325 / 149	6 माह	500/-	15 दिवस
	148	3 माह	200/-	7 दिवस
वीरन	324 / 149	६ माह	300/-	15 दिवस
	323 / 149	3 माह	200/-	7 दिवस
	325 / 149	६ माह	500 / -	15 दिवस
	148	3 माह	200/-	7 दिवस

अभियुक्तगण की उपरोक्त सभी मूल सजाएं साथ-साथ भुगतायी जावे।

- 21— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 22— प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी में लोहांगी लगी, एक लोहे की धारदार छूरी, एवं दो लाठी बांस की मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किये जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही

की जावे।

24- अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दी जावे।

23- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म०प्र0